न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

(1) प्रकरण संख्या –10/2023 (अपील)

GCMS No.2023/52

नंदकंवर पत्नी स्व. श्री भगत सिंह जाति राजपूत निवासी बापू कॉलोनी कंसुआ कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति खटीक निवासी आदर्श चेतना स्कूल के पास, प्रेम नगर ।।। कोटा राज. ।
2. मनजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति सिक्ख निवासी कंसुआ मेन रोड गुरूद्वारे के पास कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 09.01.2023 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा बउनवान सत्यनारायण बनाम नंदकंवर वगै0

उपस्थित–

1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

(2) प्रकरण संख्या –11/2023 (अपील)

GCMS No.2023/53

मनजीत सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह जाति जट सिक्ख निवासी कन्सुंवा, तह0 लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति खटीक, निवासी आदर्श चेतना स्कूल के पास, प्रेम नगर थर्ड, कन्सुवा कोटा
2. नन्द कंवर बेवा भगत सिंह, जाति राजपूत, निवासनी कन्सुंवा तह0 लाडपुरा कोटा

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 09.01.2023 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा बउनवान सत्यनारायण बनाम नंदकंवर वगै0 प्र0 सं0 25/2022

जिला कलक्टर कोटा

उपस्थितः–

1. अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1

उपरोक्त दोनों अपील संख्या 10/2023 एवं 11/2023 एक ही आदेश के विरूद्व प्रस्तुत होने एवं एक ही रेस्पोडेन्ट नं0 1 से अनुतोष चाहने हेतु प्रस्तुत हुई है तथा दोनों अपीलों की विषयवस्तु एक ही होने से दौनों अपीलों में एकसाथ बहस सुनी जाकर निर्णय भी एकसाथ ही किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांकः— 13.08.2024

1. अपील संख्या 10/2023 एवं 11/2023 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी के सम्बन्ध में मि0नं0 25/2022 में दिनांक 09.01.2023 को निर्णय पारित किया कि— "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धारा 183—बी रा0टी0ए 1955 के तहत आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सम्भलाया जावें तथा अतिक्रमण यदि कोई हो तो ध्वस्त किया जावें । वास्ते पालना सर्किल कानूनगो /पटवारी हल्का को लिखा जावें ।अप्रार्थीगण को पृथक से सूचित किया जावें ।" अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 25/2022 में अप्रार्थीगण प्रस्तुत अपीलों के अपीलांटगण क्रमशः नन्द कंवर बेवा भगत सिंह एवं मनजीत सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह है ।
2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 9.1.2023 की अप्रसन्नता में अपील संख्या10/2023 दिनांक 8.2.2023 को एवं 11/2023 दिनांक 3.2.2024 को पेश की गई है दौनों अपीले दिनांक 8.2.2023 को दर्ज रजिस्र्ट की गई है । अपील संख्या 10/2023 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपीलांट का कोई भी सम्यक पता प्रस्तुत नहीं किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को उसके सम्यक पते पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सम्यक नोटिस दिए बिना ही, अपीलांट की समुचित तामिल करवाए बिना ही मनमर्जी एवं अवैधानिक रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर एवं अपीलांट को सूचना, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसी प्रकरण अपील संख्या 11/2023 प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अपीलांट के जवाब एवं रेस्पो0 नं0 2 की तलबी हेतु नियत थी, और जिसमें बिना कोई जवाब पेश हुए तथा बिना रेस्पोडे0 नं0 2 की तलबी हुये कानूनन सीधे सीधे निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 नं0 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अशोक कुमार गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ । दोनों ही अपीलों में रेस्पो0 नं0 2 फोरमल पक्षकार है, तथा रेस्पो0 नं0 2 दोनों ही अपीलों में पृथक पृथक अपीलांट है तथा दोनों ही अपीलों के निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. अपील संख्या 10/2023 के वकील द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपील विषयक भूमि पूर्व में चुन्नीलाल आत्मज रामनारायण की खातेदारी मे दर्ज रही है । चुन्नीलाल द्वारा उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.8.1958 से बहुमूल्य राशि प्राप्त कर अपीलांट के पूर्वज श्री भीमसिंह आत्मज देवीसिंह जी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया है और बाद खरीद श्री भीमसिंह जी व उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक स्वामी खातेदार, काबिज काश्त चली आ रही है और यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अपीलांट विधिक रूप से काबिज काश्त है । अपीलांट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आती है जिसके कारण अपीलांट को धारा 183—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तवितक तथ्यों की जानकारी किए बिना मनमर्जी रूप से ही एक तरफा निर्णय जेर अपील पारित करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है । अपीलांट उक्त भूमि पर 65 वर्ष से भी अधिक समय से निरंतर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है, उक्त भूमि पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है और कानूनन भी 65 वर्ष पश्चात रेस्पो0 क्रम 1 को अपीलांट को बेदखल करवाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है । किसी भी व्यक्ति को बेदखल किए जाने हेतु विधिक काकर्यवाही किए जाने की मियाद 12 वर्ष नियत है जिसके कारण रेस्पो0 क्रम 1द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया मियाद बाधित होने से निरस्त किए जाने योग्य है । पूर्व खातेदार चुन्नीलाल द्वारा जब दिनांक 12.8.

जिला कलक्टर
कोटा

1958 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट को बेचान किए जाने के पश्चात चुन्नीलाल का ही उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है तो चुन्नीलाल द्वारा उक्त भूमि का कब्जा रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण को सुपुर्द किया जाना और फिर अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण को बेदखल कर अवैध अतिक्रमण किए जाने का प्रश्न ही नहीं है और यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त भूमि पर कब्जा करने के दुराशय से वास्तवितक तथ्यों को छिपाकर अस्वच्छ हाथों से एवं बिना किस लॉकस स्टेण्डाई के अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से निर्णय जेर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । पटवारी हल्का रायपुरा को उक्त भूमि के पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं पूर्व खातेदार चुन्नीलाल द्वारा अपीलांट के पूर्वज भीमसिंह जी को बेचान किए जाने एवं उक्त भूमि पर भीमसिंह जी एवं उनके वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट के 65 वर्ष से अधिक समय से काबिज होने की पूर्ण जानकारी रही है किन्तु पटवारी हल्का रायपुरा द्वारा भी रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण से मिलीभगत कर वास्तवितक तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के यहां गलत व गैर कानूनी रिपोर्ट दिनांक 9.11.2022 प्रस्तुत की है । उक्त भूमि पूर्व खातेदार चुन्नीलाल द्वारा अपीलांट के पूर्वज भीमसिंह जी को बेचान की जा चुकी है जिसके कारण चुन्नीलाल के उक्त भूमि में सभी अधिकार समाप्त हो चुके है एवं चुन्नीलाल द्वारा उक्त भूमि रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण को अंतरित किए जाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही सत्यनारायण को उक्त भूमि में किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त हो सकते है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो रेस्पो0 क्रम 1 सत्यनारायण से कोई साक्ष्य प्राप्त की है ना ही अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया है । निर्णय जेर अपील बिना किसी साक्ष्य के केवल आर्बीटेरी रूप से पारित किया गया है । वकील अपीलांट द्वारा आगे अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि 183–बी के तहत अतिक्रमी को ही बेदखल किया जा सकता है अपीलांट उक्त वादग्रस्त भूमि पर 1958 से विक्रय पत्र के आधार पर काबिज है ना की अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय में यह कहीं नहीं बताया है कि नंदकंवर ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब कब्जा किया, जबकि वास्तवितकता तो यह है कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है, यह भूमि नकली चुन्नीलाल की पॉवर ऑफ ऑटर्नी के जरिये रेस्पो0 नं0 1 के नाम गलत तरीके से खाते दर्ज हुई है । चुन्नीलाल तो बहुत पहले मर चुके है । यदि इसमें धारा 42 का उल्लंघन है तो राजस्थान सरकार को अब तक 175 रा0टी0ए0 के तहत दावा करना चाहिए था, किन्तु अब उसकी भी मियाद निकल चुकी है 175 का दावा प्रस्तुत करने की मियाद 30 वर्ष ही है, जबकि इस भूमि का बेचान 12.8.1958 का है तथा तब से ही अपीलांट काबिज काश्त है । वकील अपीलांट द्वार इस प्रकरण में धारा 42 लागू नहीं होने के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त WLC2008(4) पेज 508 एवं RRT 2019 (1) प्रस्तुत किये है ।

5. इसी प्रकार अपील संख्या 11/2023 के विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि तथाकथित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 0.16 हे0 वाके ग्राम कन्सुवा पर पिछले करीब 30–37 वर्षो से अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि पूर्व खातेदार चुन्नीलाल द्वारा अपीलांट के पिता सन्तोख सिंह को करीब 35 वर्ष पूर्व मोखिक करार के तहत उक्त आराजी का विक्रय कर कब्जा काश्त सुपुर्द किया गया था और सन्तोख सिंह की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी पर अपीलांट का ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा इस दौरान रेस्पो0 नं0 1 कोई कब्जा आराजी पर नहीं रहा है और न ही इस दौरान अपीलांट या उसके पिता को कभी आराजी से बेदखल ही किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाहर प्रस्तुत किया गया है इसलिए दिया गया निर्णय काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट रेस्पो0 को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है एवं अपीलांट नं0 2 नन्दकंवर की तलबी ही नहीं की गई है, बिना अप्रार्थी नं0 2 को तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कंसुवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 326,341,342 व 343 किता–4 की कुल भूमि रकबा 0.44 हे0 रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है, जिस पर अपीलांटगण द्वारा कब्जा किया जाने से रेस्पोडेन्ट द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत कब्जा सुपुर्द करने का प्रार्थना पत्र दिया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाने पर अपीलांटगण का नाजायज कब्जा काश्त पाया जाने से अपीलांटगण के बेदखली का आदेश किया है जो उचित है । मंजीत सिंह एवं नंदकंवर का उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर काबिज होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें धारा 42 का उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है । वैसे भी उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट नन्दकंवर द्वारा सिविल न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार चुन्नीलाल जी थे, तथा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोउेन्ट के नाम दर्ज हुई है, वर्तमान में खातेदार रेस्पोडेन्ट ही है, रजिस्टर्ड सेलडीड को सिविल न्यायालय में चुनोति दी हुई है प्रकरण अभी विचाराधीन होने से सिविल कोर्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट खातेदार होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अपील विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा दोनो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के अन्तर्गत धारा 183–बी के प्रकरण संख्या 25/2022 उनवान सत्यनारायण बनाम मनजीत सिंह, नन्दकंवर में पारित निर्णय 09.01.2023 के विरूद्व पृथक पृथक अभिभाषकण द्वारा प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद है ।

8. प्रस्तुत अपीलों में अपीलान्ट नन्द कंवर का अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सन 1958 में मूल खातेदार चुन्नीलाल से अपीलांट के पूर्वज भीमसिंह द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी, तभी से उक्त वादग्रस्त भूमि पर भीमसिंह जी एवं उनके बाद अपीलांट काबिज है, इसी प्रकार अपीलांट मंजीतसिंह के अभिभाषक का भी यही कथन है कि ग्राम कंसुआ की आराजी खसरा नम्बर 326 की 0.16 हे0 भूमि उनके पिता संतोख सिंह द्वारा 35 वर्ष पूर्व मौखिक करार के क्रय की गई थी तब से ही संतोख सिंह जी एवं अब अपीलांट मंजीत सिंह काबिज है । विद्वान अभिभाषकण अपीलांट द्वारा यह भी अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है जो विधि अनुरूप नहीं बताया है ।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आए है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार चुन्नीलाल मेहर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थी, जिनके द्वारा जरिये विक्रय पत्र भीमसिंह जी आत्मज देबीसिंह ठिकाना खातोली हाल निवासी कोटा को बेचान की गई थी, जिसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत विक्रय पत्र 12.8.1958 से पुष्टि होती है, अपीलांट का यह भी तर्क है कि धारा 42 1964 में अन्तःस्थापित हुई है तथा यह अन्तरण 1958 का है धारा 42 में भूतलक्ष्मी प्रभाव नहीं दिया गया है अपीलांट द्वारा कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त WLC2008(4) पेज 508 एवं RRT 2019 (1) यहां पूर्णरूप से अपीलांट के कथनों की पुष्टि में लागू नहीं होते है । यह भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि होने से भीमसिंह अथवा उनके वारिसान अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी । साथ ही उक्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है, रेस्पोडेन्ट का कथन है कि यह भूमि उनके खाते में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.2.2018 से दर्ज हुई है । उक्त विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में चुनौति दी हुई है रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 26.2.2018 की सत्यता का अन्तिम निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जाना है किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जा चुकी है जिसकी अपील अन्तर्गत आदेश–43 नियम–1 जा0 दीवानी में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा अपीम मेमों एवं अपनी बहस में किये गये कथनों से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी नं0 2 नन्दकंवर को नोटिस तामिल नहीं हुए है और ना ही उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है । बिना सुनवाई के लिए अप्रार्थी अपीलांटगण को बेदखली के आदेश पारित किये गये है जो न्यायिक प्रकिया के खिलाफ है, जिसे हम उचित नहीं मानते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

10. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा का निर्णय दिनांक 09.01.2023 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि माननीय सिविल न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें ।
11. निर्णय आज दिनांक 13.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा